राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की वाटिका आवासीय योजना, जयपुर में पंजीकरण वर्ष 2020 के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग ''अ'' के पंजीकृत आवेदकों तथा महला आवासीय योजना, जयपुर में पंजीकरण वर्ष 2020 के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग ''अ'' पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटन हेतु लॉटरी दिनांक 24.03.2022 को प्रातः 10.30 बजे ''वेब बेस्ड प्रणाली'' द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवास आवंटन लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक, समय एवं स्थान
1	लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	09.03.2022 सायं 6:00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.03.2022 सायं 6:00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	22.03.2022 सायं 6:00 बजे
4	आवास आवंटन लॉटरी का आयोजन	24.03.2022 प्रातः 10:30 बजे से
5	सम्बंधित कार्यालय	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर , जयपुर

नोट :- (1). आवेदक जिन्होनें पूर्व ग्रहण राशि की किस्त जमा करा दी है तथा रसीद की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है, उन्हें ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। यदि कोई आवेदक पूर्व ग्रहण राशि की जमा रसीद/अन्य वांछित सूचना कार्यालय में प्रस्तुत नही करने के कारण प्रस्तावित आवंटन लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। (2). आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि कोई आवेदक पूर्व ग्रहण राशि जमा कराकर जमा रसीद की प्रति उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर देता है तो उसे लॉटरी में सम्मिलित कर लिया जायेगा। (3). वाटिका एवं महला आवासीय योजना के योग्य आवेदकों को आवास का आवंटन ''वेब बेस्ड प्रणाली'' से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार किया जावेगा। (4). आवास आवंटन हेतु योग्य आवेदको की सूची मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर भी उपलब्ध रहेगी। (5). इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते है।

Samwad/C/12483/2021-22

उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर